कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल

जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या–240301) (निवास–241443) (फैक्स–240304) ई–मेल– dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2025/ 6974 शहडोल, दिनांक : 25/07/2025

प्रति,

महाप्रबंधक,
एस.ई.सी.एल सोहागपुर
पोस्ट धनपुरी जिला शहडोल

विषय :– वनमण्डल दक्षिण शहडोल के वन परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम–बण्डीखुर्द के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 833 एवं आर.एफ. 834 के रकवा 36.734 हे. वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य का मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/29264/2017.

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–1/824/2021/10–11/2030 दिनांक 24.07.2025

2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर का पत्र क्रमांक 186 दिनांक 10.07.2025

-☆☆☆-

निवेदन है कि संदर्गित पत्र क्रमांक 02 से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 22.06.2025 द्वारा 03 बिन्दुओं में जानकारी चाही गई है। जिसमें प्रथम चरण अनुमोदन में शर्त क्रमांक II के परिपालन में वन्यजीव संरक्षण योजना हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.01.2023 के तहत अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक एसईसीएल सोहागपुर ने संदर्भित पत्र 02 से बंगवार भूमिगत खदान के प्रोजेक्ट काष्ट/पूंजी निवेश 86.35 करोड़ का 2 प्रतिशत् जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर बंगवार भूमि खदान के प्रोजेक्ट काष्ट/पूंजी निवेश 86.35 करोड़ का 2 प्रतिशत् की राशि 1,72,70,000.00 (रू. एक करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र है। जिसकी पुष्टि कार्या. पत्र क्रमांक/माचि./2260 दिनांक 23.07.2025 से मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/एफ–1/824/2021/10–11/2030 दिनांक 24.07.2025 से प्रोजेक्ट काष्ट की 2 प्रतिशत् राशि आवेदक संस्थान नियमानुसार जमा कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर बंगवार भूमि खदान के प्रोजेक्ट काष्ट/पूंजी निवेश 86.35 करोड़ का 2 प्रतिशत् की राशि 1,72,70,000.00 (रू. एक करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र है। जिसे ऑनलाईन एन.ए. कैम्पा एकाउंट (NA Campa Account) में जमा करें तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार एनपीव्ही के अंतर की राशि 1,40,50,754/– राशि जमा उपरांत चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं 03 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर शीघ्र भेजें।

(श्रद्धा प्न्द्रे)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

पृ. क्रमांक/मा.चि./2025/ 6975 शहडोल, दिनांक : 25/07/2025

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल